न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 03/2015 निगरानी नगरपालिका

1. मोहनलाल पुत्र झंडू जाति मीणा निवासी काकरिया वालो की ढाणी ग्राम राजोली तहसील लालसोट जिला दौसा निगरानीकर्ता

बनाम

1. हनुमान प्रसाद मीना पुत्र मीठालाल जाति मीना निवासी कोड्याई तहसील बोलीं जिला सवाईमाधोपुर
2. नगरपालिका मण्डल लालसोट जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल लालसोट
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा

गैरनिगरानीकार

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 74(2) नगरपालिका अधिनियम 2009 बाबत निरस्त किये जाने पट्टा विक्रय पत्र सं. 3479 दिनांक 21.08.2013 जो कथित तौर पर अप्रार्थी हनुमान प्रसाद मीना पुत्र मीठालाल मीना को भूमि ख.न. 3906/1462 में से जारी करना बतलाया।

उपस्थिति : श्री वरूण नागर अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
: गैर निगरानीकार सं. 1 लगा0 3 बावजूद तामील अनुपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—:निर्णयः— दिनांकः 29.06.2018

संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि ख.न. 3906/1462 जिसके पूर्व ख.न. 1462 कुल रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा निगरानीकर्ता की खातेदारी की भूमि थी एवं आज भी प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। जिसमे से 10 बिस्वा भूमि का रूपान्तरण हो चुका है। लेकिन उक्त 10 बिस्वा भूमि मे से प्रार्थी की सहमति के बगैर किसी प्रकार कोई पट्टा कानूनन जारी नही किया जा सकता। लेकिन नगरपालिका मण्डल लालसोट द्वारा अप्रार्थी रमेश चन्द की ओर प्रार्थी के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर शपथ पत्र, समर्पण पत्र, इकरार नामा आदि कागजात पेश होने पर अप्रार्थी सं. 01 के हक में अवैधानिक पट्टा 3479 दिनांक 21.08.2013 जारी कर दिया है। जिसके विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र निगरानी पेश की गई है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैर निगरानीकारान की तलबी की गई। गैर निगरानीकार सं. 01 लगा0 03 बावजूद तामील उपस्थित नही हुए। नगरपालिका मण्डल लालसोट का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता निगरानीकार की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा निगरानी के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया की नगरपालिका मण्डल लालसोट का पट्टा आदेश क्रमांक 3479 दिनांक 21.08.2013 विधि विरूद्ध एवं तथ्यो के विरूद्ध होने कारण निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 90 बी के अन्तर्गत भूमि का रूपान्तरण होने के बाद केवल मात्र खातेदार के हक में ही पट्टा विक्रय पत्र या रेगुलाईजेशन की कार्यवाही की जा सकती है एवं खातेदार की बिना सहमति के प्रकरण को कोई विक्रय पत्र जारी किया जा सकता है और न ही पट्टा जारी किया जा सकता है और न ही उसका कोई रेगुलाईजेशन किया जा सकता है। नगरपालिका के अधिकारियों ने प्रार्थी को उक्त नोटिस जारी किये बिना ही अप्रार्थी सं. 01 के हक में पट्टा क्रमांक 3479 दिनांक 21.08.2013 भूमि ख.न. 3906/1462 में से जारी कर दिया। प्रकरण में जो समर्पण नामा, सहमति पत्र, शपथ पत्र, बेचान एग्रीमेन्ट दिनांक 12.04.2001 प्रस्तुत करना बताया गया हैं। उपरोक्त सभी दस्तावेज फर्जी, कूट रचित है। प्रार्थी ने कभी कोई बेचान व एग्रीमेन्ट हनुमान प्रसाद मीना से नही किया न ही उसके हक में कोई समर्पण नामा, सहमति पत्र, शपथ पत्र, बेचाननामा तहरीर व तकमील किया। वास्तविकता तो यह है कि 10 बिस्वा भूमि की जो 90 बी की कार्यवाही हुई है। वह अवैधानिक कार्यवाही है जिसे अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के यहा लम्बित है। इस तथ्य की नगरपालिका के अधिकारियों को जानकारी हैं। इस प्रकार नगरपालिका मण्डल लालसोट ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर उक्त पट्टा जारी किया है। उल्लेखनिय है की ख.न. 3906/1462 के पूर्व ख.न. 1462 थे। जो प्रार्थी के खातेदारी की भूमि थी। लेकिन बाद में अवैधानिक रूप से 90 बी की कार्यवाही की गई उसके बाद 3907/1462 व 3906/1462 बनाकर उसके दो भाग कर दिये गये। उक्त समस्त भूमि प्रार्थी के कब्जे व खातेदारी की रही है एवं प्रार्थी को सूचना दिये बिना इनमे कोई पट्टे जारी नही किये जा सकते थे। लेकिन नगरपालिका मण्डल लालसोट द्वारा गैर निगरानीकार से साज करके फर्जी पट्टे जारी कर दिये गये है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अप्रार्थी सं. 01 के हक में पट्टा/विक्रय पत्र सं. 3479 दिनांक 21.08.2013 को निरस्त फरमावे।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

प्रकरण संख्या 03/2015 निगरानी नगरपालिका

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने अधिवक्ता निगरानीकार की बहस पर मनन किया एवं नगरपालिका मण्डल लालसोट से प्राप्त मूल अभिलेख एवं पत्रावली का अवलोकन किया। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को फर्जी कूट–रचित एवं बनावटी होना तथा इन पर प्रार्थी के हस्ताक्षर फर्जी बनाये होना व्यक्त किया गया है। साथ ही उक्त ख.न. 3906/1462 की 90 बी की कार्यवाही अवैधानिक कार्यवाही होना एंव जिसे अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के यहां चुनौती दी हुई होना एंव मामला अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त के यहां लम्बित होना व्यक्त किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत पट्टा सं. 3479 दिनांक 21.08.2013 निरस्त कर प्रकरण नगरपालिका मण्डल लालसोट को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मामले में पुनः विधिसम्म्त नियमानुसार कार्यवाही 90 (A) की जाकर न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त महोदय जयपुर के यहां लम्बित अपील के सम्बन्ध में निर्णय/स्थिति की जानकारी कर तदानुसार विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा